

12.22 hrs.

RE. MOTIONS FOR ADJOURNMENT
AND CALLING ATTENTION
NOTICES (Query)

श्री एस० एम० जोशी (पूना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि मैं ने एक स्थगन-प्रस्ताव दिया था। कल यहाँ बताया गया था कि गाजा पट्टी में हमारे पांच आदमी मारे गए। आज पेपर्स में आया है कि आठ आदमी मारे गए हैं।

Mr. Speaker: Order, order. Please resume your seat.

श्री एस० एम० जोशी : उस के साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जो दूसरे भारतीय नागरिक हैं,

Mr. Speaker: Well, I have no objection. I am prepared to allow it for 10 minutes even, if it is the desire of the House.

श्री एस० एम० जोशी : आप मुझे कहने दीजिए। मैं बताना चाहता हूँ कि जो दूसरे भारतीय नागरिक हैं,

Mr. Speaker: Order, order. What the hon. Member says will not be recorded.

श्री एस० एम० जोशी : *

Mr. Speaker: Order, order. Will you now sit down, please? Nothing has been taken down anyway. Every day, I have been noticing one thing. Call Attention notices are given in large numbers. I am not mentioning any one Member, but about the whole House generally, whether it is this side or that side. Notices are given; they are considered. It is not just one or two Members, but I get notices from 40 Members. I get 20, 30, 40 notices. Now, whichever notice is not accepted, if the Members begin to make speeches like this, well, I have an objection. If that is what

is wanted, I have absolutely no objection. If you change the rules and make rules saying that anybody can begin speaking and raise any point, I have no objection.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : माननीय सदस्य ने यह मांग की है कि मंत्री महोदय बयान दें। बयान तो आना चाहिए।

Shri Nath Pal (Rajapur): What about our notice? We have not been informed anything.

Mr. Speaker: It is under consideration, if he is not informed.

12.26 hrs.

QUESTION OF PRIVILEGE
AGAINST THE HINDUSTAN
TIMES

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, परसों मैं ने बिड़ला समूह के एक हिन्दी दैनिक, हिन्दुस्तान, के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था और चूँकि सदन ने या सदन के किसी भी सदस्य ने, उस का विरोध नहीं किया, इस लिए वह सीधा विशेषाधिकार समिति के पास पहुँच गया। आज मैं जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूँ, वह उसी बिड़ला समूह के अंग्रेजी दैनिक, हिन्दुस्तान टाइम्स, के खिलाफ है मेरी राय है कि एक मानी में यह मामला हिन्दी दैनिक, हिन्दुस्तान, के मामले से भी ज्यादा गम्भीर है और इस का कारण मैं अभी बताता हूँ।

रविवार के हिन्दुस्तान टाइम्स में जो लेख प्रकाशित हुआ था, उस का नाम है, "शेड्यूल आफ दि स्टार चैम्बर"। शायद हमारे कुछ मित्र यह नहीं जानते होंगे कि यह स्टार चैम्बर क्या बला है। इस लिए मैं एक ही वाक्य में बताना चाहता हूँ कि जब